



# केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान  
An Autonomous Body Under Ministry of Education, Govt. of India

18 संस्थागत क्षेत्र / 18 Institutional Area,

शहीदजीत सिंह मार्ग /Shaheedjeet Singh Marg

नई दिल्ली /New Delhi - 110016

दूरभाष /Telephone: 011-26858570

ईमेल /Email: est3-section@kvs.gov.in

वेबसाइट/Website: [www.kvsangathan.nic.in](http://www.kvsangathan.nic.in)

File No. 11-E-3029(42)/22/2021-Estt-III / 11/2-1719,

दिनांक: 10.04.2026

## कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय, काठमांडू में कार्यरत निम्नलिखित शिक्षक को एतद्वारा भारत में तत्काल प्रभाव से प्रत्यावर्तित किया जाता है और उनके नाम के आगे उल्लिखित केन्द्रीय विद्यालय (निम्नलिखित टेबल के कालम सं. 6) में उन्हें तैनाती प्रदान की जाती है। उन्हें आदेशित किया जाता है कि वे के. वि. काठमांडू से कार्यमुक्त होकर संबंधित केन्द्रीय विद्यालय (कालम सं. 6) में कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित हो।

The following teacher working in Kendriya Vidyalaya, Kathmandu is hereby repatriated to India with immediate effect and posted in Kendriya Vidyalaya mentioned against his name in the following table (column No.6). He is directed to get relieved from KV, EOI Kathmandu and report for duty in the concerned KV as per (Column No. 6).

S. No.	Name	Emp. Code	Post	Name of foreign KV where working	Place of Posting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mr. K. ANIL KUMAR	27978	PRT	KATHMANDU	KV, (SOI) No. 1 Uppal (1516)

यह आदेश सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(सौरभ जेटली)

सहायक आयुक्त (स्था-II/III)

वितरण:-

1. संबंधित शिक्षक।
2. अध्यक्ष, वि.प्र.स., के.वि., भारतीय दूतावास काठमांडू।
3. प्राचार्य के.वि. भारतीय दूतावास, काठमांडू, को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित कर्मचारी को अविलंब कार्यमुक्त करें।
4. प्राचार्य, संबंधित विद्यालय को इस निर्देश के साथ कि वे पदस्थ शिक्षक/स्टाफ के कार्यभार ग्रहण के उपरांत कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करें।
5. उपायुक्त, केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु।
6. सहायक आयुक्त (सूचना प्रौद्योगिकी), केविसं(मु०), नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इस कार्यालय आदेश को केविसं (मु०) की वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. वित्त अधिकारी, के.वि.सं. संबंधित संभाग को सूचनार्थ।
8. अनुभाग अधिकारी (पी.एफ.), केविसं (मु०), नई दिल्ली को सूचनार्थ।
9. गार्ड फाइल।